राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
रांची, झारखण्ड

सं0 एसओ/03/2012/एसटीजीटीएच/एसईओटीएच/आर.यू.–III

चिकित्सकों के वेतन निर्धारण में विसंगति के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में 31.01.2013 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

1) श्री के0 विद्यासागर, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, श्री मनोज सहाय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने भाग लिया।

2) अभ्यावेदक, डा0 चंद्रा उपस्थित थीं। डा0 चंद्रा को अपनी शिकायतें स्पष्ट करने के लिए कहा गया। डा0 चंद्रा ने बताया कि महालेखाकार, वर्ष 1997 से 01.04.2000 तक नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करते रहे थे परन्तु 01.04.2000 के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है। उन्हें महालेखाकार कार्यालय से ज्ञात हुआ कि कनिष्ठ चिकित्सकों को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि मिलना जारी है लेकिन विभिन्न आवश्यकता आधारित चिन्हित पदों पर बिहार राज्य से झारखण्ड राज्य में स्थानान्तरित वरिष्ठ चिकित्सकों ने अभिवृद्धित वेतन प्राप्त नहीं किया क्योंकि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी नहीं की। परिणामस्वरूप कनिष्ठ चिकित्सक वरिष्ठ चिकित्सकों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रभावित चिकित्सक कई बार उक्त विसंगतियों के संबंध में संबंधित विभागों के पास गए लेकिन अभी तक मामले को निपटाया नहीं गया है।

3) स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार ने वित्त विभाग के समक्ष फाईल प्रस्तुत कर दी है और अभी तक वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।

4) मामले का हल निकालने का निर्णय लिया गया। मामले का हल निकालने के लिए सचिव, वित्त विभाग, सचिव, स्वास्थ्य विभाग और महालेखाकार, झारखण्ड सरकार, बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हुए। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उक्त प्रतिबद्धता पर सहमति जतायी कि मामले को एक महीने के अन्दर निपटाया जाए और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi